न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 44/2023

प्रार्थी
1. अमराराम पुत्र श्री शिवदान जाति जाट
2. गेंदा देवी पत्नी श्री अमराराम जाति जाट
निवासीगण अखावास तहसील रियांबडी जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण
1. सरला देवी उर्फ सुमित्रा पत्नी श्री गणपतराम जाति जाट
2. गणपतराम पुत्र शिवदान जाति जाट
3. शारदा देवी पत्नी लादूराम जाति जाट
4. गेंदा देवी पत्नी चेनाराम जाति जाट
निवासीगण अखावास तहसील रियांबडी जिला नागौर
5. कमला देवी पत्नी भीखाराम जाति बावरी
6. सावरी देवी पत्नी हडमानराम जाति बावरी
7. सोहनीदेवी पत्नी दलाराम जाति बावरी
8. तहसीलदार रियांबडी
9. पटवारी हल्का बीजाथल
10. उपपंजीयक रियांबडी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 12/8/24

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि –

1. यह है कि प्रार्थी संख्या 1 और 2 दोनो पति पत्नि है तथा दोनो के स्व अर्जित आय से खरीदसुदा जमीन गांव अखावास में 4 अलग–अलग खसरो में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है जो निम्न है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 254/458 खाता संख्या नया 201 और खाता संख्या पुराना 183 रकबा 1.22 हैक्टर तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खसरा संख्या 254/461 खाता संख्या नया 3 खाता संख्या पुराना 132 रकबा 0.81 हैक्टर तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 तथा 4 से 7 के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 252 खाता संख्या नया 27 और खाता संख्या पुराना 27 रकबा 5.18 हैक्टर तथा प्रार्थी और अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 254 खाता संख्या नया 26 और खाता संख्या पुराना 176 रकबा 1.1 हैक्टर ग्राम अखावास पटवार हलका बीजाथल अविभाजित संयुक्त खातेदारी की आई हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी(नागौर)

2. प्रार्थी व प्रार्थीगण अपने हक हिस्से पर जमीन में खेती करके जीवन व्यतीत कर रहे है। संयुक्त खातेदारो द्वारा खेतीबाडी में बाधा उत्पन्न की जा रही है जिस कारण से खेती का कार्य उचित ढंग से नही कर पाते है। जमीन अलग–अलग भागो में विभक्त हो चुकी है। जोतो का आकार काफी छोटा हो गया है जिस कारण से खेती के कार्य में काफी समस्या उत्पन्न होती है।
3. यह है कि इन चारो खसरान की जमीन एक दूसरे से जुडी हुई है। संयुक्त खातेदार होने से प्रत्येक खातेदार का उक्त जमीन में समान हक हिस्सा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से बंटवाडा करने का निवेदन किया कि बंटवाडा होने से जमीन का स्वतंत्र मालिक हो जाये एक दूसरे खातेदारो को कोई दखल अंदाजी न हो न ही किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो।
4. प्रार्थीगण शांतिपूर्ण तरीके से आपस में सहमति से बंटवाडा करवाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 हिंसा पर उतारू हो गये। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न करने लगे। वर्तमान समय में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त चारो खसरो में से मुख्य सडक अखावास से दासावास जाने वाली पर जबरदस्ती काबिज होने का लगातार प्रयास कर रहे है जबकि अन्य संयुक्त खातेदारो का भी हक हिस्सा है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के हक व हिस्से को मानने से मना कर रहे है।
5. यह है कि उक्त चारो खसरो में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। सभी का समाम हक व हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नही मान रहे है। इसीलिये प्रार्थीगण को दावा प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नही रहा है।
6. प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 दोनो सगे भाई है। दोनो ने चारो खसरा में से निजी आय से जमीन खरीद की। दोनो का उक्त चारो खसरो मे बराबर हक हिस्सा है। उक्त हक हिस्से का विभाजन करने के लिये अप्रार्थी संख्या 2 से निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मना कर दिया व वर्तमान समय में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा मुख्य सडक पर स्थित संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में प्लॉट काटकर अन्य पक्षकार को बेचान करने प्रयास किया जा रहा है।
7. अभी हाल में ही प्रार्थी खेत में गया तो देखा कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा मुख्य सडक पर स्थित जमीन का नाप चौप कर पट्टी/मुटाम रोपने का कार्य किया जा रहा था। प्रार्थी द्वारा मना करने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काम बंद नही करने पर उक्त प्रार्थी कारण उत्पन्न हुआ इस हेतु आमादा हुआ तब बमुकाम अखावास तहसील रियांबडी जिला नागौर में पैदा हुआ जो निरंतर जारी है। जिसे रोकने के लिये प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील उम्मेदपुरी ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया व साथ में बेचाननामा खातेदारी पेश किया। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से संभी खसरो में सभी सह खातेदारो का बराबर हक हिस्सा है जिससे कोई भी मुख्य सडक मार्ग पर अकेला कब्जा काश्त नही कर सकता है। सभी का बंटवाडा होने पर मौके पर मुटाम कायम कर सभी की खातेदारी अलग अलग राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने तक कोई भी सह खातेदार उक्त कृषि भूमि को किसी प्रकार बेचान हस्तांतरण व अंतरण नही करे और न अन्यो के मार्फत प्रार्थीगण उपयोग व उपभोग में बाधा डाले एवं अप्रार्थी संख्या 8, 9, 10 राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे कथन किया कि उक्त जमीन छतरसिंह पुत्र पाबुदान सिंह पुरोहित निवासी अखावास से पुराना खसरा नंबर 162/1 रकबा 7 बीघा 10 बिश्वा में से 2 बीघा 18 बिश्वा दक्षिणी तरफ

उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी(नागौर)

भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 02.07.2007 को अप्रार्थी संख्या 3 ने खरीदकर कब्जा प्राप्त किया जिस पर खरीद के दिन से आज दिन मौके पर कब्जा काश्त है। इसी प्रकार खसरा नंबर 254/461 रकबा 0.81 हैक्टर के पुराने खसरा नंबर 162/6 रकबा 5 बीघा थे जो मांगुसिंह पुत्र रामबगससिंह जाति पुरोहित निवासी अखावास की खातेदारी का काश्त व कब्जासुद था। उक्त जमीन दिनांक 31.07.2007 को अप्रार्थीणी संख्या 3 ने 4 बीघा 12 बिश्वा उतरी तरफ भूमि रजिस्टर्ड बेचाननामा के खरीदकर कब्जा प्राप्त किया एवं अलग अलग सीवे माठे कायम की हुई है। परन्तु पटवारी हल्का ने राजस्व रेकर्ड में गलती से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की दर्ज करती बकाया मौके पर दोनो के खरीदसुदा भाग पर अलग अलग माठे कायम है एवं किसी प्रकार का विवाद नही है। एक बार बंटवाडा खरीद के दिन से किया जा चुका है। पुनः बंटवाडा करने का प्रसंग पैदा नही होता है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे कथन किया कि खरीदसुदा भाग पर उपयोग व उपभोग में दखलअंदाजी करने का किसी को अधिकार नही है एवं प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे है जिससे प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में मौजूद राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया जिसमे पाया गया कि अप्रार्थी ने दोनो बेचाननामा की नकल प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि खेत के बेचाननामा में विक्रेता ने बेचाननामा मे दिशा का खुलासा किया है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण भूमि के खरीद के समय से ही मौके पर काश्त काबिज है। जिससे प्रार्थीगण को दखल करने का अधिकार नही है एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति जो अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निस्तारण करते समय आवश्यक बिन्दु है। उक्त तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होना नही पाया जाता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 21.03.2023 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/4/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी (नागौर)